न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 72/15

GCMS id : 2015 / 00126

1. भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति मीणा
2. नन्दलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति मीणा
3. रामचन्द्र पुत्र बिरधीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम ढगारिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
4. मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम ढगारिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा हाल निवासी रंगबाडी, कोटा

— (वादीगण) अप्रार्थी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र स्व. लाला, जाति मीणा, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

— (प्रतिवादीगण) प्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 183 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी०पी०सी०

उपस्थिति : श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक वादीगण
श्री श्यामलाल सुमन, अभिभाषक प्रतिवादी–1

सहायक कलक्टर कोटा

निर्णय "151 CPC"

दिनांक : 24.08.2022

1- प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम–1) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी०पी०सी० बाबत स्थगित किये जाने आगामी कार्यवाही, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी०पी०सी० में निवेदन किया गया कि –

~ प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 28.02.2018 को धारा 10 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 के निर्णय होने तक कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश पारित किया था।

~ पक्षकारों के बीच दोनों प्रकरण समान आराजी तथा एक समान पक्षकार के मध्य विवादित है।

~ दोनों प्रकरणों की प्रार्थना नजरअंदाज करते हुये धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2018 को स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की अपील संख्या 5262/2015 का निर्णय होने तक, इस न्यायालय की कार्यवाही यथावत रखते हुये, प्रकरण में निर्णय नहीं किया जाने सम्बन्धी आदेश दिया गया था।

~ प्रकरण में आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र निर्णित किया जा चुका है किन्तु इस प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।

Parthvi
24/8/22
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

- यदि अपीलान्ट की अपील राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्वीकार अथवा निर्णित कर दी जाती है तो इस न्यायालय में विचाराधीन इस प्रकरण की कार्यवाही निष्फल हो जायेगी।
- अतः इस प्रकरण को राजस्व मण्डल के फैसले तक पूर्ण रूप से स्थगित किया जाना न्यायसंगत है।
- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय होने तक प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

3- अप्रार्थी (वादीगण) की ओर से उनके अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश कर, प्रार्थना पत्र की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –

- प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2018 को धारा 10 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र पर आदेश कर निर्देशित किया गया था कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 में निर्णय होने तक इस प्रकरण का निर्णय नहीं किया जावे किन्तु इस प्रकरण की कार्यवाही जारी रहे।
- माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की गई अपील संख्या 5262/2015, इस न्यायालय में धारा 183 आरटीए का दावा पेश करने की दिनांक 06.08.2015 के बाद पेश की गई है।
- प्रार्थना अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी बिन्दुओं के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2018 में संशोधन करवाने के लिये यह प्राथना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।
- माननीय न्यायालय में विचाराधीन यह प्रकरण धारा 183 का है जबकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015, धारा 53, 88 के अन्तर्गत निर्णित वाद की अपील है। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों की कार्यवाही और विषय–वस्तु भिन्न भिन्न है। अतः निवेदन हे कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. का जवाब पेश होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई –

- प्रार्थी (प्रतिवादी) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी की ओर से पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पेश कर वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसकी अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 के निस्तारण होने तक इस प्रकरण का निर्णय नहीं किये जाने का आदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर तथा इस न्यायालय में विचाराधीन वाद की विवादित आराजी समान है, पक्षकार भी समान है। यह भी सही है कि माननीय न्यायालय की अपील का निर्णय ही विवादित आराजी पर प्रभावी रहेगा इसलिये इस प्रार्थना पत्र के साथ ही पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी की प्रार्थना को स्वीकार कर, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 का निर्णय होने तक इस दावे की समस्त कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अप्रार्थी (वादीगण) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों क दोहराते हुये निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा धारा 10 सी०पी०सी० व आदेश में इस न्यायालय की कार्यवाही जारी रखते हुये माननीय न्यायालय राजस मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 का निर्णय होने तक इ प्रकरण का निर्णय नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी ने तो इ

Parthi

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) को.ग

न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2018 में संशोधन करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन दोनों प्रकरण अलग अलग धाराओं से सम्बन्धित है तथा उनमें चाहा गया अनुतोष भी भिन्न ही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 28.02.2018 के आदेशानुसार इस प्रकरण की कार्यवाही यथावत जारी रखी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से पेश यह प्रार्थना पत्र, उनके द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का पश्चातवर्ती है जिसमें उन्हीं बिन्दुओं को उठाया गया है जो पूर्व प्रार्थना पत्र में थे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग से सम्बन्धित है। कोई भी विधि अपने आप में सर्वांगपूर्ण नहीं होती है क्योंकि उसमें समस्त विषयों को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं हो पाता है। विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न मामले या प्रश्न उत्पन्न होते रहते है। उन सभी के लिये विधि में उपबन्ध हो, यह संभव भी नहीं है इसलिये संहिता में धारा 151 के प्रावधान सम्मिलित किये गये है कि जिन विशेष परिस्थितियों बाबत संहिता में प्रावधान नहीं है, वहॉ संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत पक्षकार अनुतोष प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते है कि प्रतिवादी की ओर से पूर्व में भी धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करके समान विवादित आराजी तथा पक्षकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/15 के निर्णय तक, इस न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस उपरान्त न्यायालय की कार्यवाही यथावत रखते हुये इस प्रकरण का निर्णय नहीं किये जाने बाबत आदेशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन न्यायालय अपने द्वारा पारित पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन भी कर सकता है।

इसी क्रम में हमारे द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पर मन्थन किये जाने के दौरान संज्ञान में आया कि इस न्यायालय में एक अन्य प्रकरण संख्या 552/09 बउनवान काली बाई नाम गणेशी बाई भी विचाराधीन चल रहा है तथा इसी प्रकरण की अपील संख्या 262/2015 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। यह करण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत पेश किया गया । इस दावे में काली बाई द्वारा प्रकरण की विवादित आराजी में स्वयं को खातेदार षित करवाकर विभाजन कराये जाने का अनुतोष चाहा गया था तथा इस न्यायालय निर्णय दिनांक 03.10.2000 से काली बाई को खातेदार घोषित कर तहसीलदार, डपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान ये गये। गणेशी बाई द्वारा उक्त निर्णय की माननीय न्यायालय राजस्व अपील ाकारी, कोटा में अपील किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित ा गया था जिसकी अपील संख्या 5262/2015 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मेर में विचाराधीन है।

प्रकार हम देखते है कि जिस प्रकरण की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मेर में अपील विचाराधीन है, वो प्रकरण खातेदारी घोषणा का था अर्थात उक्त पूर्व ण का वादी खातेदार घोषित होने के उपरान्त ही, इस न्यायालय में काश्तकारी

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखली हेतु प्रस्तुत प्रकरण संख्या 77/15 बउनवान भंवरलाल बनाम दौलतराम पेश करने का अधिकारी हो सकता है।

- न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी धारा 10 सीपीसी के आदेश में दोनों प्रकरणों की धारा की भिन्नता के आधार पर आदेश पारित किया गया था जबकि वास्तविकता में देखा जाये तो वादी की ओर से पेश किया गया यह प्रकरण संख्या 77/15, पूर्व प्रकरण का ही पूरक है, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। उक्त अपील का अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद ही यह सुनिश्चित किया जाना संभव होगा कि विवादित आराजी के कब्जाधारी बेदखली योग्य है अथवा नहीं।
- अर्थात हम कह सकते है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 के निर्णय का सीधा असर इस न्यायालय के प्रस्तुत प्रकरण पर प्रतिबिम्बित होना आवश्यम्भावी है।
- मण्डल के आदेश दिनांक 22.12.2015 द्वारा प्रकरण की विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की आज की स्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान कर रखे है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर, राज्य के राजस्व मामलों का उच्चतम न्यायालय है तथा मण्डल के आदेश की पालना इस न्यायालय का दायित्व है और विधिसंगत भी यही है कि मण्डल के आदेश की पालना में इस न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जावे।

अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5262/2015 का अन्तिम निर्णय हो जाने तक के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 77/15 बउनवान भंवरलाल बनाम दौलतराम तथा प्रकरण संख्या 552/09 बउनवान काली बाई बनाम गणेशी बाई की समस्त वर्तमान कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 552/09 बउनवान काली बाई बनाम गणेश बाई के साथ शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Par 24/8/22
(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा